न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–04 / 2021 (225 आर. टी. एक्ट)
आरआरीएमएस संख्या – 2021 / 21

उनवान

1. कृष्णवीर पुत्र गिरधर नाबालिग बलि सरपरस्त माता चिरावती पत्नि गिरधर जाति जाट निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. चिरावती पत्नि गिरधर जाति जाट निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गिरधर पुत्र रंगीलाल जाति जाट निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयक महोदय पहाडी जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 21.11.2019 उनवानी कृष्णवीर बनाम गिरधर प्र0स0 108 / 2019

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–20.10.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के आदेश दिनांक 21.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी / रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थी / अपीलाण्ट एव रैस्पो0 संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य हैं। विवादित आराजी प्रार्थी / अपीलांट के दादा रंगीलाल के खातेदारी का रकबा था। रंगीलाल के फौत होने के बाद विवादित

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

आराजी का विरासत का नामान्तकरण उनके पुत्रो में चेतराम, दौजी व गिरधर के नाम दर्ज होकर विधिवत बॅटवारा हो चुका है। परन्तु रैस्पो0 संख्या 01 का आचरण सही नहीं है एवं वह प्रार्थी/अपीलांट के साथ आये दिन झगडा फसाद एवं मारपीट करता रहता है एवं विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देता रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किये बिना नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें जन्म से ही खातेदारी अधिकार बच्चे को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा रैस्पो0 स्वयं रंगीलाल की मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजी को विरासत में मिलना कथन करते हैं। ऐसी सूरत में दावा के निस्तारण तक दावे की विषयवस्तु को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा खारिज करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी पैतृक आराजी होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ही रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014 पेज 519, आरआरडी 1978 पेज 375, एआईआर 1960 पेज 100 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। प्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति एवं उसमें स्वयं के जन्म से खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कथन करते हुये, अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा करते हैं एवं साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन आदेश से खारिज किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के विंदुओं पर कोई विवेचना नहीं की गयी है, कि कैसे

अखिलेश कुमार पिपल
अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

प्रार्थी/अपीलाण्ट अपने पक्ष में उक्त तथ्यों को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। जबकि गैर सायल/रैस्पो0 ने स्वयं अपने जवाब प्रा0पत्र में सायलान/अपीलाण्ट को अपने पुत्र व पत्नी होना एवं विवादित आराजी को अपने पिता रंगीलाल के फौत होने के पश्चात् स्वयं के नाम 1/3 हिस्से पर खातेदारी दर्ज होना स्वीकार किया है। स्पष्टतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विवेचना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय नॉन–स्पीकिंग होने से अपास्त योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किये जाकर पुनः विधिसम्मत एंव बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी के निर्णय दिनांक 21.11.2019 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें, तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर